न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 38 / 2017
RCMS No. 2017/00202

प्रार्थी:–

1 विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. श्री बलवन्तराज राणावत, अध्यक्ष चामुण्डा माताजी मन्दिर बिजोवा
2. सरपंच ग्राम पंचायत बिजोवा

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

पंचायत प्रसार अधिकारी, कलेक्ट्रेट, पाली
श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 14/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बिजोवा द्वारा मिसल संख्या 87 / 2005–2006, संकल्प संख्या 10 दिनांक 09.04.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 09.06.2008 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

पंचायत प्रसार अधिकारी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया है, सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जिसे पंचायती राज नियम 1996 के नियम 138 के तहत विक्रय नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मन्दिर के ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है तथा न ही धार्मिक मन्दिर का पट्टा जारी किया जाना पंचायत के क्षैत्राधिकार में है। इसके बावजूद भी पंचायत द्वारा एक व्यक्ति विशेष के नाम से सार्वजनिक भूमि एवं मन्दिर का पट्टा नियम 157 (2) के तहत जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुँचाने की चेष्टा से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पारित पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विकास अधिकारी द्वारा विधि एवं तथ्यों के विपरित निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, इसके साथ ही निगरानी प्रस्तुत करने से पूर्व रेकर्ड एवं स्थानीय स्थिति, मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य लिए बिना निगरानी प्रस्तुत की है, जो खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने से पूर्व मौका स्थिति बाबत कोई जांच नहीं की गई है एवं इसके अतिरिक्त विकास अधिकारी को

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है, क्योंकि विकास अधिकारी पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के तहत अपील अधिकारी है, जिसे अपील सुनने का अधिकार है, वह निगरानी प्रस्तुत नहीं कर सकता है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि ग्राम बिजोवा के चामुण्डा माता मन्दिर के चारो तरफ का प्रांगण है, जहां पर हमेशा धार्मिक व सामाजिक कार्य होते है, जो मन्दिर ट्रस्ट के अधीन होते है। भूमि मन्दिर की है तथा मन्दिर के नाम से पुराना कब्जा होने से पट्टा जारी किए जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 मन्दिर का ट्रस्टी व अध्यक्ष है, पट्टा उसके व्यक्तिगत नाम से जारी नहीं किया गया है, मात्र अध्यक्ष होने के नाते उसका नाम अंकित किया गया है। ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक हितार्थ एवं अवैध अतिक्रमण को रोकने के उद्देश्य से विक्रय विलेख जारी किया गया है। पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, बिजोवा द्वारा मिसल संख्या 87/2005–2006, संकल्प संख्या 10 दिनांक 09.04.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 09.06.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं को चामुण्डा माता मन्दिर ट्रस्ट का अध्यक्ष होना बताते हुए चामुण्डा माता मन्दिर ट्रस्ट के पक्ष में चामुण्डा माता मन्दिर के चारो तरफ के प्रांगण का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रक्रिया अनुसार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दौरान बने पुराने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी को जो पट्टा जारी किया गया है वह नियम 157 (2) के तहत जारी किया गया है, जिसका उपरोक्त नियमों के तहत परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 नियम 157 (ख) के तहत पट्टा प्राप्त करने हेतु पात्र ही नहीं था। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थल की भूमि का पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, बिजोवा द्वारा मिसल संख्या 87/2005–2006, संकल्प संख्या 10 दिनांक 09.04.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 09.06.2008 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली